सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

## NOTICE

**फा. सं.: NCST/DEV-1717/UK/2/2023-ESDW** **दिनांक: 08.06.2023**

**सेवा में,**

**श्री युगल किशोर पंत,**
कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-उधम सिंह नगर,
कलेक्ट्रेट कंपाउंड,रुद्रपुर
उधम सिंह नगर ,
उत्तराखंड
ई-मेल : dm-usn-ua@nic.in

**विषय: खसरा नंबर 2/564 रकवा 2.911 है, जिसकी रजिस्ट्री बैनामे के आधार पर 6 साल पहले तहसील बाजपुर में जमा दाखिल खारिज की पत्रावली तहसील कर्मचारियो की मिली भगत से रजिस्ट्रीशुदा जमीन के बाद 6 कनाल भूमि पटवारी की मिली भगत से झूठे गवाह पेश कर प्रतिवादी ने अपने नाम दर्ज अभिलेख कराई तत्काल दाखिल खारिज के संबंध में श्री कृष्ण सिंह, हरी सिंह, पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी-खेमपुर पलका चौड़, गदरपुर, उधम, सिंह नगर, उत्तराखंड से दिनांक 08.04.2023 का अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री कृष्ण सिंह, हरी सिंह से दिनांक 08.04.2023** में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

**कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।**

संलग्न यथोपरि.

**(एच. आर. मीना)**
**अनुसंधान अधिकारी**

**प्रतिलिपि संलग्न:**

1. **श्री कृष्ण सिंह, हरी सिंह,**
   पुत्र श्री प्रेम सिंह,
   निवासी-खेमपुर पलका चौड़,
   गदरपुर, उधम, सिंह नगर,
   उत्तराखंड

2. **एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।**